न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 146/2024

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

भैराराम पुत्र पदमाराम वयस्क जाति जाट निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।

बनाम

1. ऊकाराम पुत्र जेरुपाराम वयस्क जाति माली निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा।
2. केहराराम पुत्र देदाराम वयस्क
3. दमाराम पुत्र देदाराम वयस्क
4. हीराराम पुत्र देदाराम वयस्क
5. अचलाराम पुत्र रुगाराम वयस्क
6. कुंभाराम पुत्र रुगाराम वयस्क
7. विशनाराम पुत्र रुगाराम वयस्क
8. मालाराम पुत्र मेहराजराम वयस्क
9. खेराजराम पुत्र रुपाराम वयस्क
10. सताराम पुत्र रुपाराम वयस्क
11. हरुराम पुत्र रुपाराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान एड अमरसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा
12. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (बास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम ढेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 12 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 12.12.2024

1. मामले में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई

हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की मादे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर भूमि की पक्की नखुमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढा की माटों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर भूमि की पक्की नखुमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की [illegible] स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड [illegible] के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवे[illegible] स्वीकार करने [illegible] उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायाल[illegible] एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:30 IST
Reason: SelfAttested

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एड अमरसिंह पटवार मण्डल एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 186/1 रकबा 11.2532 हैक्टेयर की भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 12.12.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.02 18:06:30 IST
Reason: SelfAttested